रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032022-234186
CG-DL-E-14032022-234186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943
No. 197] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

सा.का.नि. 200(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 886(अ), तारीख 28 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को 28 दिसंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत:, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 93 में,-

(i) उप-नियम (1)(क) के खंड (IX) की सारणी में "*खींचने वाले ट्रेक्टर के साथ विशिष्ट लम्बाई वाले यांत्रिक ट्रेलर" शब्दों के स्थान पर "*एन3 श्रेणी के ट्रक/ट्रेक्टर के साथ विशिष्ट लम्बाई वाले यांत्रिक ट्रेलर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उप-नियम (2) के खंड (2) में, पहले स्पष्टीकरण में, "(क) अन्यय यान के सबसे पीछे वाले बिन्दु" शीर्ष के अधीन परंतुक में मद (ख) में, उपमद (ii), (iii) और (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(ii) केवल तीन धुरी और आगे की दो धुरी स्टीयरिंग एक्सल है, वाले यान के मामले में सबसे पीछे की धुरी (ओं) को "निश्चित" या "खीचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु ; या

(iii) केवल तीन धुरी, जिसमें आगे की दो धुरी स्टीयरिंग एक्सल है, वाले यान के मामले में सबसे पीछे की धुरी (ओं) को"निश्चित" या "खीचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु ; या

(iv) चार या चार से अधिक धुरी वाले यान के मामले में; सबसे पीछे की धुरी (ओं) को "निश्चित" या "खीचने योग्य (लिफ्ट एक्सल) करने के बावजूद सबसे पीछे वाली धुरी का केंद्र बिंदु हो;" ।

3. उक्त नियम के नियम 125ञ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"125ट. सड़क ट्रेन के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ.- रोड ट्रेन के टाईप अनुमोदन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया, समय-समय पर संशोधित एआईएस-113 के अनुसार होगी, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11)के अधीन संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है।"

[फा. सं. आरटी-11028/02/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 164(अ), तारीख 25 फरवरी, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2022

G.S.R. 200(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 886(E), dated the 28th December, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th December, 2021;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Sixth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (here in after referred to as the said rules), in Rule 93,-

(i) in sub-rule (1) (A), in clause (IX), in the Table, for the words "*Mechanical trailer with exceptional length with a puller tractor" the words "*Mechanical trailer with exceptional length with N3 category truck or tractor" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), in clause (2), in the first Explanation, under the heading " (A) The rearmost point of the vehicle exclusive of- ", in the proviso, in item (b), for sub-items (ii), (iii) and (iv), the following sub-items shall be substituted, namely:-

"(ii) in the case of a vehicle having only three axles and the front axle is the only steering axle, the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being "fixed" or "retractable" (lift axle); or

(iii) in the case of a vehicle having only three axles where two front axles are steering axles, the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being "fixed" or "retractable" (lift axle);or

(iv) in the case of a vehicle having four or more than four axles; the centre point of the rearmost axle, irrespective of rear axle(s) being "fixed" or "retractable" (lift axle); or ".

3. After rule 125J of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"**125K. Safety requirements for Road Train.-** The procedure for type approval and certification of Road Train, shall be in accordance with AIS-113, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).".

[F. No. RT-11028/02/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 164(E), dated the 25th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.14 22:26:09 +05'30'